प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.08.2026

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.08.2026 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त वकील पुत्र जब्बार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने वादिया के घर में आकर वादिया के साथ गलत काम करना व शिकायत करने पर उसके दोस्त 1.शकील 2.परवेज के द्वारा जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 333/64(1)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.08.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वकील पुत्र जब्बार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पीडिता को पिछले काफी समय से जानता हूँ, मेरी पीडिता के साथ पुरानी दोस्ती है। मैं पीडिता के घर गया था जहाँ मैंने उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वकील पुत्र जब्बार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल चोर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद।

दिनांक 10.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि इन्द्रापुरी बुध बाजार से लोनी रोड पर टैम्पो से वादी का मोबाइल फोन चोरी हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के मोबाइल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.अरशद उर्फ खासी पुत्र निजामुद्दीन निवासी पुराना मुस्तफाबाद नूर मस्जिद के पास थाना दयालपुर दिल्ली 2.आदित्य पुत्र सुशील कुमार निवासी अम्बेडकर विहार जोहरीपुर थाना करावल नगर दिल्ली को लालबाग कीकर के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल बरामद हुए। बरामद चोरी के एक मोबाइल के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे पास से जो 01 मोबाइल बरामद हुआ हैं, ये मोबाइल चोरी का है। जिसे हमने टैम्पो में एक महिला से इन्द्रापुरी के पास चोरी कर लिया था। हम मोबाइल चोरी कर राह चलते व्यक्तियों को बेचकर मिले पैसों को आपस में बाँट लेते है तथा अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.अरशद उर्फ खासी पुत्र निजामुद्दीन निवासी पुराना मुस्तफाबाद नूर मस्जिद के पास थाना दयालपुर दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष

2.आदित्य पुत्र सुशील कुमार निवासी अम्बेडकर विहार जोहरी पुर थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण में थाना लोनी बॉर्डर पर मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त अरशद उर्फ खासी पर थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/लूट/हत्या के प्रयास के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये तांबे का तार व घटना कारित करने में प्रयुक्त तार कटर व चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 10.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी की प्राप्त तहरीर कि अज्ञात चोर द्वारा सेक्टर सी-9 ट्रोनिका सिटी में स्थित पुस्ता प्लांट में लगी मोटरों से तांबे का तार व लोहा चोरी करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा- 305(A) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. मोहिन पुत्र गुलाब शाह ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को अम्बे चौक के पास थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का तांबे का तार व घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 तार कटर व थाना क्षेत्र भजनपुरा दिल्ली से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया हम दोनों अपने तीन अन्य साथियो 1. शोहेल पुत्र नसीरुद्दीन 2. वसीम पुत्र यामीन 3. फुरकान पुत्र मुस्तफा के साथ मिलकर चोरी करते है और चोरी किये गये समान को बेचकर जो रूपये मिलते है उनको आपस में बराबर बांट लेते है। हमारे से जो तांबे के तार बरामद हुये है वह हम पाँचो ने मिलकर यूपीसीडा के पुस्ता स्थित प्लांट से चोरी किये है। हमारे से जो मोटरसाइकिल बरामद हुयी है वह हमने कुछ दिन पहले भजनपुरा दिल्ली से चोरी की है। आज हम दोनों तार के बंडल को बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. नईम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

2. मोहिन पुत्र गुलाब शाह ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र, करीब 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

1. शोहेल पुत्र नसीरुद्दीन 2. वसीम पुत्र यामीन 3. फुरकान पुत्र मुस्तफा

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी किये हुये तांबे का तार (35 किलो), 01 तार कटर व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर तांबे का तार चोरी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना भजनपुरा दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की मदद से हत्या की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कैंची बरामद।

दिनांक 10.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सर्वेश पुत्र लल्लू निवासी जनपद एटा (उ0प्र0) द्वारा वादी के भाई अनवेश की ट्रोनिका सिटी स्थित फैक्ट्री में कैंची से हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की मदद से हत्या की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त सर्वेश दर्जी पुत्र लल्लू सिंह मूल निवासी ग्राम बरौली थाना बागवाला जिला एटा(उ0प्र0) हाल निवासी बुद्ध बाजार,पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को हनुमान चौक के पास थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मृतक अनवेश की हत्या कारित करने में प्रयुक्त आला कत्ल कैंची को बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं लगभग 04 वर्ष से रेडीमेट गारमेन्ट्स कुनाल इन्टरप्राइजेज आई 28 सैक्टर ए-01, ट्रोनिका सिटी फैक्ट्री मैं काम कर रहा था, मृतक अनवेश भी उस फैक्ट्री में काफी समय से काम कर रहा था। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनवेश ही काम बताता था। दिसम्बर 2025 में फैक्ट्री में 01 लड़की काम पर आई थी जो फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करती थी, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, वह जब भी मेरे पास खड़ी होती थी तो अनवेश उसे मेरे पास से हटा देता था और मुझे उस लड़की के सामने ही जलील और बेइज्जत करता था जिस कारण मैं मन ही मन अनवेश से नफरत करने लगा और उसे ठिकाने लगाने की योजना बना ली। अनवेश फैक्ट्री मालिक का खास था अगर हम मालिक से अनवेश की शिकायत करते थे तो मालिक उल्टा मुझे ही धमकाता था और अनवेश को कुछ नहीं कहता था। कल दिनांक 10.08.2026 को समय दोपहर करीब 01.30 बजे मैने फैक्ट्री के कटिंग सेक्सन रुम में अनवेश को जाकर देखा तो बाहर उसका भाई खडा था जिसे देखकर मैं वापस हो गया उसके

कुछ देर बाद दोबारा दोपहर समय करीब 03.00 बजे जाकर देखा तो फैक्ट्री के प्रथम तल पर कटिंग सेक्सन रुम में अनवेश अकेला लेटा हुआ था तो मैने मौका देखकर वहीं से कपडा काटने के लिये रखी कैंची उठाकर उसके सिर पर व गले में कई बार कैंची से वार किया जिससे अनवेश लहूलुहान हो गया। इस घटना में मेरे हाथ की उंगली भी कट गई। मैं कैंची को अपने साथ लेकर फैक्ट्री से निकल आया और कैंची को भगत सिंह चौक से गेट न0 02 की तरफ आने वाले रास्ते में झाडियों में छुपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सर्वेश दर्जी पुत्र लल्लू सिंह मूल निवासी ग्राम बरौली थाना बागवाला जिला एटा(उ0प्र0) हाल निवासी बुद्ध बाजार, पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्ल कैंची बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सर्वेश दर्जी के विरूद्ध उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरियाणा मार्का अवैध शराब एवं 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- **ऑपरेशन प्रहार** के अन्तर्गत अवैध शराब की तस्करी, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.08.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान लोनी-भोपुरा रोड, डी-मार्ट के सामने से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की तलाशी एवं उनके कब्जे में मौजूद वाहन की चेकिंग करने पर वाहन की डिग्गी से **1000 पव्वे देशी शराब एवं 250 पव्वे अंग्रेजी शराब, कुल 25 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब** बरामद हुई। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शराब को हरियाणा से लाकर दिल्ली के रास्ते निर्धारित स्थान पर पहुंचाने की बात बताई गई। अभियुक्तगण द्वारा अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहन के संबंध में भी जानकारी दी गई है। बरामदगी के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि सौरभ नामक व्यक्ति द्वारा सोनीपत से चार पहिया वाहनों में हरियाणा मार्का शराब लोड कराकर दिल्ली के अशोक नगर में वाहन खड़ा कराया जाता है। इसके बाद सौरभ द्वारा अभियुक्तगण को वाहन निर्धारित स्थान पर ले जाकर खड़ा करने के लिए कहा जाता है। अभियुक्तगण को वाहन में रखी शराब के संबंध में जानकारी होती थी तथा वे उक्त वाहन को बताए गए स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते थे। अभियुक्तगण ने बताया कि इस कार्य के एवज में सौरभ द्वारा उन्हें प्रति वाहन 5,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे दोनों आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सुनील पुत्र मुलकराज, निवासी अशोक नगर, थाना ज्योति नगर, दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. शोएब पुत्र यासीन, निवासी न्यू सीमापुरी, थाना सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 कार।
- 1000 पव्वे देशी शराब।
- 250 पव्वे अंग्रेजी शराब।
- कुल 25 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त सुनील के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त दिल्ली में आबकारी अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- अभियुक्त शोएब के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 26.06.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी आयुष गोयल पुत्र सतीश कुमार गोयल निवासी सेक्टर-11, वसुंधरा, थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त विमल जैन पुत्र अभयराम जैन निवासी पीतमपुरा, दिल्ली आदि के विरुद्ध कम्पनी से लोन के रूप में 7.60 करोड़ रुपये प्राप्त करने तथा उक्त धनराशि के एवज में रफ डायमण्ड की फर्जी टैक्स इन्वॉइस, डिलीवरी नोट एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धनराशि वापस न करने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.08.2026 की रात्रि को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त **विमल जैन उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र अभयराम जैन निवासी जीपी-1, मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, थाना मौर्य एन्क्लेव, जिला नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने पीतमपुरा स्थित अपनी प्रॉपर्टी पर डच बैंक से लगभग **09 करोड़ रुपये का ऋण** लिया था, जिसकी अदायगी उसके द्वारा की जानी थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह उक्त ऋण की धनराशि जमा नहीं कर पा रहा था। इस दौरान उसके भाई **नरेश जैन** द्वारा पूर्व परिचित **आयुष गोयल** से संपर्क किया गया। आयुष गोयल द्वारा एक एग्रीमेंट के तहत अभियुक्त को विभिन्न तिथियों में लगभग **06 माह के दौरान कुल 7.60 करोड़ रुपये** की धनराशि ऋण के रूप में दी गई थी, जिसे एग्रीमेंट के अनुसार ब्याज सहित वापस किया जाना था। अभियुक्त ने आगे बताया कि जब वह आयुष गोयल को निर्धारित ब्याज की धनराशि

नहीं दे सका तो आयुष गोयल द्वारा अपनी कम्पनी के माध्यम से अभियुक्त को लीगल नोटिस भेजा गया। उक्त नोटिस से बचने एवं स्वयं को उक्त धनराशि की देनदारी से मुक्त दर्शाने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा **रफ डायमण्ड के फर्जी टैक्स इनवॉइस** तैयार कर **एलीगैन्स कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड** के बिलों के माध्यम से यह दर्शाया गया कि उसके द्वारा आयुष गोयल को 7.60 करोड़ रुपये के रफ डायमण्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उक्त लेन-देन को वास्तविक दर्शाने के लिए **बिमल जैन द्वारा एलीगैन्स कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर** कर एक रफ डायमण्ड डिलीवरी नोट तैयार किया गया तथा आयुष गोयल को भेजकर यह दर्शाया गया कि ऋण की धनराशि के बदले रफ डायमण्ड की डिलीवरी की जा चुकी है और अब अभियुक्त पर कोई धनराशि शेष नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विमल जैन उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र अभयराम जैन निवासी जीपी-1, मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, थाना मौर्य एन्क्लेव, जिला नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा में धोखाधड़ी से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण में थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।